राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2870/2023

कुसुम कुमारी शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय, जयपुर ग्रामीण।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय, कोटपूतली, बहरोड़।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय, दूदू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.10.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

अपील संख्या :– 3147/2023

सोनल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 29.11.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या

2870/2023 कुसुम कुमारी शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल विकल्प पत्र के आधार पर जयपुर ग्रामीण अथवा कोटपूतली, बहरोड या दूदू पदस्थापित किया जावे और समस्त सेवा लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चंगेडी मावली, उदयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में विभिन्न पदों के लिए दिनांक 17.06.2023 को विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने जयपुर जिले के लिए आवेदन किया था और बाद में जयपुर जिले को चार भागों में बांट दिया गया, जो जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली बहरोड एवं दूदू। उनका कथन है कि लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर न्यूनतम 12 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था और अपीलार्थी ने परीक्षा परिणाम में 14.5 अंक प्राप्त किए। विभाग द्वारा पुनः विकल्प मांगे गए जिसमें अपीलार्थी ने जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली बहरोड एवं दूदू स्थान विकल्प पत्र में भरकर दिए, जिसमें बिना साक्षात्कार के प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति आदेश दिनांक 04.10.2023 द्वारा दी गई, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर विकल्प पत्र के आधार पर विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी का नाम मात्र जयपुर के लिए ही विचार किया गया। जबकि अपीलार्थी ने विकल्प में उक्त चारों नाम भरकर विकल्प में दिए थे। परंतु विभाग द्वारा जयपुर के अलावा शेष अन्य नामों पर अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में विचार नहीं किया गया, जो नियम एवं नीति के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम

स्कूल विकल्प पत्र के आधार पर जयपुर ग्रामीण अथवा कोटपूतली, बहरोड या दूदू पदस्थापित किया जावे और समस्त सेवा लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा जिलों के पुर्नगठन पश्चात् पुनः अपने जिले विशेष का विकल्प चाहा गया था और अपीलार्थी द्वारा प्रथम विकल्प जयपुर शहर दिया गया, परंतु उक्त जिले की मेरिट में स्थान नहीं बना पाने के कारण अपीलार्थी को उक्त जिला आवंटित नहीं किया गया प्रथम विकल्प के आधार पर तथा मेरिट के अनुसार जिला आवंटित किया गया है। साक्षात्कार में चयन हेतु मानक अंक या अधिक अंक प्राप्त करने पर चयन हो जाने मात्र से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन का अधिकारी नहीं होगा। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चंगेडी मावली, उदयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अपीलार्थी ने जयपुर जिले के लिए आवेदन किया गया। अनुलग्नक–5 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पर न्यू डिस्ट्रिक्ट च्वाइस फीलिंग जिसमें च्वाइस 1, 2, 3 एवं 4 पदस्थापन स्थान भरने हेतु दर्शाए गए और अपीलार्थी द्वारा जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली बहरोड एवं दूदू स्थान उक्त विकल्प पत्र में भरे गए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि प्रथम च्वाइस के आधार पर ही अपीलार्थी का पदस्थापन नहीं किया गया क्योंकि अपीलार्थी जयपुर शहर की मेरिट में स्थान नहीं बना पाई। जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त एक विकल्प के अलावा तीन अन्य विकल्प भी भरे गए हैं, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदस्थापन हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया, जो उचित एवं नियमानुसार प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि विकल्प पत्र में मांगी गई

पदस्थापन च्वाइसों और अपीलार्थीगण द्वारा विकल्प पत्र में भरे गए चारों च्वाइसों पर मेरिट के आधार पर नियमानुसार विचार कर उनको पदस्थापित किया जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 2870/2023 कुसुम कुमारी शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक में वर्णित अन्य अपील संख्या 3147/2023 सोनल शर्मा में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य